डॉ. बी.आर. मीणा
निदेशक (जन स्वास्थ्य)

निदेशालय
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

अ०शा० पत्र कमांक :राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2011/1176
दिनांक : 20.10.11

प्रिय श्री ....

आपका ध्यान कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 स्मरण परिपत्र दिनांक 13.05.2011, 17.05.2011 एवं 18.07.2011 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्रों के संदर्भ में समय–समय पर निदेशालय द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया था लेकिन कार्मिक विभाग ने अवगत कराया है कि अधिकांश चिकित्सकों के अचल सम्पत्ति विवरण अभी तक नहीं भिजवाये गये है जो कि राज्य सरकार एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

इस सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन शेष चिकित्सकों की अचल सम्पत्ति विवरण 7 दिवस में इस निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें इसके साथ यह भी अवगत करावें कि जिन चिकित्सकों ने अभी तक अचल सम्पत्ति विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किये है उनकी माह जुलाई, 2011 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी गई है अथवा नहीं की सूची भी भिजवायें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

सादर सहित।

सद्भावी

(डॉ. बी.आर. मीणा)

डॉ. ....,

संयुक्त निदेशक, जोन–

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

प्रतिलिपि :–1. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अर्द्धशासकीय टिप्पणी संख्या 13(9)चि./का./क–1/गो.प्र./11 दिनांक शून्य के संदर्भ में सूचनार्थ।

(डॉ. बी.आर. मीणा)